कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 04.11.2020

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–19 व्यक्तियों को अन्र्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. लाल बाबू पुत्र सुन्दर निषाद नि0 मजहन पुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–338/20, 02. राहुल पुत्र बब्बू निषाद नि0 मजहन पुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–339/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. नान बाबू पुत्र मंहगी लाल नि0 पृथ्वी नाथ पचरन थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब व परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद कर मु0अ0सं0–230/20, धारा 60/72 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. हरी राम सोनकर पुत्र जयपत्तर नि0 कोहरन पुरवा मौजा हड्हवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–276/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

दहेज हत्या का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। बुधवार जनपद गोण्डा के थाना को0 करनैलगंज पुलिस ने दहेज हत्या के आरोपी अभियुक्त राजू उर्फ सत्यदेव गोस्वामी पुत्र अशोक कुमार गोस्वामी नि0 शिवाला परौरी थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा को थाना को0 करनैलगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0–437/20, धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 22.10.2020 को वादी शेष नरायण पुत्र अगलू नि0 ग्राम महादेवा केशवपुर पहाड़वा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा की लड़की प्रिया को दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करते हुए फासी लगा कर जान से मार दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना को0 करनैलगंज में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें को0 करनैलगंज पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर बाबागंज चौराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

252 ग्राम अवैध मार्फिन बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. तजम्मुल उर्फ तमंचे पुत्र मनजाब नि0 हलवाईनपुरवा मौजा देवापसिया थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–286/20, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 252 ग्राम अवैध चरस।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 03.11.2020 को थाना कटराबाजार के उ0नि0 नीरज कुमार मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को सेल्हरी मण्डप के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 252 ग्राम अवैध मार्फिन बरामद किया गया। अभियुक्त को थाना कटराबाजार में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 नीरज कुमार सिंह।
02 का0 देवनाथ यादव।
03. का0 रामप्रताप सिंह।

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. लवकुश पाण्डेय पुत्र रामू पाण्डेय नि0 महापुरवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–331/20, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 355 अल्प्राजोलम की गोलिया।

संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 04.11.2020 को थाना धानेपुर के उ0नि0 दिलीप कुमार सिंह मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को वाहन चेकिंग के दौरान विशम्भरपुर रोड से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 355 अल्प्राजोलम की गोलिया बरामद की गयी। अभियुक्त को थाना धानेपुर में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 दिलीप कुमार सिंह।
02. उ0नि0 श्री दधिबल यादव।
03. हेड का0 मदन मोहन सिंह।
04. का0 शोभित सिंह।